...लय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

2/75/2022 — तारीख रजू 29/3/22

अर्जुन **बनाम** हरिया वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.03.2022	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के, पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नं0 1648/868, वाके ग्राम बडौदाकान तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति वनायें रखे। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा1 है ऐसे में अप्रार्थी में सें किसी के उपस्थित होकर वहस के लिऐ कहने पर वकिल प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी, अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावें। अप्रार्थीण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोइ उज्र हो तो दिनांक 12.04.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये रजि0 डाक नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 12.04.2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
12.4.22	वकील प्रार्थी ... उपस्थित। स्थगन आदेश दिनांक 29.3.22 पालना में पत्रावली वास्ते तलबी रजि0 डाक दिनांक 28/6/22 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी	
28/6/22	... बेरोकन ... /P.O. ... अ.तलबी आवश्यी दिनांक 30/8/22 को पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
30/8/22	मुताबिक वेरीफेशन [illegible] वापस [illegible] पत्रावली दिनांक 3/11/22 को पेश हो।
3/11/22	वकील प्रार्थी .... उपस्थित। [illegible] आदेश दि॰ 29.3.22 की पालना में [illegible] तलबी I निष्पादन को दिनांक 12/1/23 पेश हो। अधिकारी
12/1/22	वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं आये। वकील व प्रार्थी को बार-2 आवाज दिलाई गई कोई उपस्थित नहीं आया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अदम पैरवी - अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद शुमार होकर मुताबिक [illegible] दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी [illegible] (अलवर) राज०